**मूल हिंदी में**

**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1461**
**09.02.2026 को उत्तर के लिए**

**कृषि से हेने वाला प्रदूषण**

**1461. सुश्री इकरा चौधरी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शामली में कृषि मशीनरी उद्योगों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए क्षेत्र में 'सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन' (सीएएक्यूएमएस) स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या गन्ना किसानों को कृषि अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए तत्स्थानिक प्रबंधन हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार ने यमुना नदी घाटी में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कोई विशिष्ट वनीकरण लक्ष्य तय किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में हरित पट्टी विकसित करने के लिए स्थानीय निकायों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

**(क):** शामली शहर की वायु गुणवत्ता का डेटा एकत्रित करने के लिए एक मैनुअल परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन प्रचालनरत है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शामली शहर में स्थापित किए जाने हेतु एक सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) का अधिग्रहण किया गया है।

**(ख):** धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व में सीआरएम मशीनों की खरीद पर मशीनरी की लागत की 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण उद्यमियों, सहकारी समितियों, डीएवाई-क्लस्टर स्तर संघों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों द्वारा सीआरएम मशीनरी के कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 30 लाख रुपये तक के परियोजना खर्च पर परियोजना लागत के 80% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2018-19 से 2025-26 की अवधि तक (दिनांक 20.01.2026 तक), कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कुल ₹4173.84 करोड़ (पंजाब - ₹2026.45 करोड़, हरियाणा - ₹1156.71 करोड़, उत्तर प्रदेश - ₹838.67 करोड़, मध्य प्रदेश - ₹45.00 करोड़, दिल्ली एनसीटी - ₹6.05 करोड़, आईसीएआर - ₹93.235 करोड़ और अन्य - ₹7.7205 करोड़) जारी किए गए हैं। राज्यों द्वारा एकल किसानों को 3.50 लाख से अधिक मशीनें वितरित की गई हैं और राज्यों में 43,415 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्व-स्थानिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टोरेफैक्शन संयंत्रों की स्थापना हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 104.5 टन प्रति घंटा क्षमता वाले 25 संयंत्रों के लिए कुल ₹15.58 करोड़ की राशि जारी की गई है, और इन संयंत्रों द्वारा प्रतिवर्ष 4.83 लाख टन धान की भूसी का उपयोग किए जाने की अपेक्षा है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शामली में गन्ना फसल अवशेष के स्व-स्थानिक प्रबंधन हेतु फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। इन बैंकों में मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने और अवशेष जलाने से रोके जाने के लिए गन्ने की पत्ती के अवशेष को मल्चिंग करने के लिए ट्रैश मल्चर और रैटन प्रबंधन उपकरण उपलब्ध हैं। शामली के फार्म मशीनरी बैंक, गन्ना मिलों और किसानों के पास कुल 1,637 ट्रैश मल्चर और 1,551 रैटून प्रबंधन उपकरण उपलब्ध हैं।

**(ग):** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों और राज्य के अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं के समन्वय और भारत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के माध्यम से युमना नदी सहित 13 नदियों के पुनरूद्धार के लिए संयुक्त रूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जारी की हैं। अब तक यमुना नदी बेसिन के 1311.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्राकृतिक परिदृश्य, वनीकरण और मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण के अंतर्गत कार्य किया गया है।

इसके अलावा, वर्ष 2024-25 तक केंद्रीय वन प्रभाग, दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार के तहत यमुना के बाढ़ क्षेत्र में वनीकरण और पौधारोपण कार्यकलाप संचालित किए गए। 271.248 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 3,11,203 पौधे लगाए गए हैं।

इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बाढ़ क्षेत्र पारिस्थितिकी के अनुकूलन के लिए 7 लाख से अधिक पेड़ और 100 लाख (01 करोड़) घास (स्थानीय प्रजातियों के पेड़ और घास) के पौधे लगाए हैं।

**(घ):** विकसित भारत-रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन(ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों के माध्यम से मृदा और आर्द्रता संरक्षण से जुड़े वनीकरण और पौधारोपण कार्यकलाप संचालित किए जा सकते हैं।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की अमृत योजना के अंतर्गत, कैराना संसदीय क्षेत्र में ₹4.76 करोड़ की लागत से 8.01 एकड़ क्षेत्र में 17 हरित क्षेत्र और पार्क विकसित किए गए हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार औद्योगिक परिसरों/क्षेत्रों में स्थित रेड और ऑरेंज श्रेणी की उद्योगों को हरित पट्टी विकसित करना अनिवार्य किया गया है।

*****